प्रेस विज्ञप्ति

24.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 24.01.2025 को **79.78 करोड़ रुपये (लगभग)** की संपत्ति के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। यह आदेश **मेसर्स शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड** और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में जारी किया गया है, जो फार्मास्युटिकल उत्पादों के विकास, उत्पादन और व्यावसायीकरण में लगे हुए थे। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के नवी मुंबई, मुंबई, सतारा, रायगढ़ और उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल में स्थित फ्लैट, प्लॉट, होटल और कृषि भूमि के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, मुंबई द्वारा मेसर्स शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड (एसबीएमएल) और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और पीसी अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने और बैंकों को 286 करोड़ रुपये (लगभग) का नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक मोहन काला, श्रीमती सविता गौड़ा और ललित मिश्रा ने अन्य लोगों की मदद से कंपनी के स्टॉक स्टेटमेंट/बैलेंस शीट/रिकॉर्ड को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया/धोखाधड़ी की/हेरफेर किया और बिक्री और खरीद की आड़ में फर्जी लेनदेन करके बैंकों से भारी कर्ज हासिल किया। उन्होंने कई फर्जी कंपनियां/फर्म स्थापित कीं, जिनमें मेसर्स एसबीएमएल के कर्मचारी और मोहन काला और श्रीमती सविता गौड़ा के रिश्तेदार निदेशक/शेयरधारक थे, जिनके लिए बैंक के फंड डायवर्ट/हस्तांतरित किए गए। बैंक के फंड का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया, जिसके लिए उन्हें लिया गया था। इसके बजाय उन्हें निदेशकों और उनकी संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों के नाम पर निजी इस्तेमाल और विभिन्न संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया।

इससे पहले, ईडी ने 23.10.2024 को इस मामले में तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न चल संपत्तियों जैसे बैंक खातों/फिक्स्ड डिपॉजिट/डीमैट खातों की जब्ती/फ्रीजिंग की गई थी, जिसकी कीमत 16.42 करोड़ रुपये (लगभग) थी, साथ ही विभिन्न अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए थे। इस मामले में अब तक कुल कुर्की और जब्ती की राशि 96.20 करोड़ रुपये (लगभग) है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।